

# दवि्यांग व्यक्तियों का समावेशन और सशक्तीकरण

यह एडिटोरियल 15/07/2020 को 'द हिंदू' में प्रकाशति "The great omission in the draft disability policy" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के समावेशन और सशक्तीकरण के बारे में चर्चा की गई है।

### संदर्भ

निःशक्तता दिव्यांगजन और उन अभिवृत्तिक एवं परिवशीय अवरोधों के बीच की अंतःक्रिया से उत्पन्न होती है जो दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती है।

- <u>वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार</u> अखिल भारतीय स्तर पर दिव्यांगजनों की संख्या कुल जनसंख्या का 2.21% थी, जिसमें से 7.62% दिव्यांगजन 0-6 वर्ष आयु वर्ग के हैं।
- भारत ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किया था और फिर 1 अकटूबर, 2007 को इसकी पुष्टि भी की ।
  एक नए दिवयांगता कानून (दिवयांगजन अधिकार अधिनियम, 2016) के अधिनियमन ने दिवयांगता की संख्या को 7 स्थितियों से बढ़ाकर 21 कर दिया ।
- निशक्तताओं पर ध्यान व्यक्ति से हटकर समाज की ओर स्थानांतरित हो गया है, अर्थात यह निशक्तिता के चिकित्सा मॉडल से निश्चिक्तता के सामाजिक या मानवाधिकार मॉडल में स्थानांतरित हो गया है।

## नाशक्तता के वभिनिन मॉडल कौन-से हैं?

- चिकत्सा मॉडल (Medical Model):
  - ॰ चिकित्सा मॉडल में कुछ शारीरिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को दिव्यांग माना जाता है।
    - इसके अनुसार निशक्तता व्यक्ति में निहिति होती है क्योंकि इसे निरुग्नता, उपचार और पुनर्वास के माध्यम से परिवेश के साथ समायोजन के बोझ सहित गतिविधि के प्रतिबिधों के समान देखा जाता है।
- सामाजिक मॉडल (Social Model):
  - ॰ सामाजिक मॉडल उस समाज पर ध्यान केंद्रति करता है जो दिव्यांगजनों के व्यवहार पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है।
    - इसके अंतर्गत निशक्तता व्यक्तयों में नहीं, <mark>बल्क</mark> व्यक्तयों और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रया में होती है।

## भारत में दवियांगजनों के लिये संवैधानिक ढाँचा

- राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSP) के अंतर्गत अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निश्चिक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।
- संवधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में 'दिव्यांगजनों और बेरोज़गारों को राहत' का विषय निर्दिष्ट है।

# भारत में दिव्यांगजनों से संबंधित प्रमुख समस्याएँ

- भेदभाव:
  - ॰ दिव्यांगजनों से संबद्ध 'कलंक' के आधार पर नरिंतर भेदभाव के साथ ही उनके अधिकारों के बारे में समझ की कमी उनके लिये अपने मूल्यवान शक्तता या कार्यकरण (Functioning) की प्रापति करना अत्यंत कठिन बना देती है।
    - दवियांग महलाएँ और बालकाएँ यौन और लगि-आधारति हस्सा के अन्य रूपों का अनुभव करने का अधिक जोखिम रखती हैं ।
- स्वास्थ्यः
  - कई प्रकार की निःशक्तता निवारण-योग्य होती है। इनमें जन्म के दौरान चिकित्सा संबंधी समस्याएँ, गर्भवती स्त्री से संबद्ध समस्याएँ, कृपोषण के साथ ही दुर्घटनाओं और आघातों से उत्पन्न होने वाली निःशक्तताएँ शामिल हैं।
    - लेकनि जागरुकता की, देखभाल की और अच्छी एवं सुलभ चिकितिसा सुविधाओं की वयापक कमी की स्थिति है।

### शिक्षा और रोज़गार:

- ॰ दिवयांगजनों के लिये विशेष विद्यालयों, विद्यालयों तक पहुँच, प्रशिक्षित शिक्षकों और शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता की कमी है।
- ॰ भले ही कई दिव्यांग वयस्क उत्पादक कार्य करने में सक्षम होते हैं, दिव्यांग वयस्कों की रोज़गार दर सामान्य आबादी की तुलना में बहुत कम है।

### राजनीतिक भागीदारी:

- ॰ देश में राजनीतिक क्षेत्र से दिवयांगजनों का बहरिवेशन राजनीतिक पुरक्रिया के सभी सुतरों पर और विभिन्न तरीकों से घटित होता है, जैसे:
  - निर्वाचन क्षेत्रों में दिव्यांगजनों की सही संख्या पर उपलब्ध समग्र डेटा का अभाव।
  - मतदान प्रक्रिया की दुर्गमता (जैसे ब्रेल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का व्यापक उपयोग नहीं किया जाता)।
  - दलगत राजनीति में भागीदारी के मार्ग में बाधाएँ।
- भारत में राजनीतिक दल दिव्यांगजनों को किसी बड़े या मज़बूत मतदाता वर्ग के रूप में नहीं देखते हैं कि उनकी आवश्यकताओं को विशेष रूप से संबोधित करें।

### प्रवर्तन की शथिलिता:

- ॰ दिवयांगजनों की स्थिति में सुधार के लिये सरकार ने कुछ सराहनीय पहलें की है।
  - लेकिन भारत सरकार द्वारा 'सुगम्य भारत अभियान' (Accessible India Campaign) के तहत सभी मंत्रालयों को अपने भवनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के निर्देश के बावजूद भारत में अधिकांश भवन दिव्यांगजनों के अनुकूल नहीं हैं।
  - इसी प्रकार, <u>दिव्यांगजन अधिकार अधिनियिम</u> (Rights of Persons with Disabilities Act) ने सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में दिव्यांगजनों के लिये आरक्षण का एक कोटा प्रदान किया है, लेकिन इनमें से अधिकांश पद खाली हैं।

### आगे की राह

### निवारक कार्रवाई:

- निवारक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है और आरंभिक बाल्यावस्था में सभी बच्चों की स्क्रीनिंग या परीक्षण किया जाना चाहिये।
- ॰ केरल ने पहले ही एक आरंभिक निवारक कार्यक्रम शुरू कर दिया है।
  - व्यापक नवजात स्क्रीनिंग (Comprehensive Newborn Screening- CNS) कार्यक्रम शशुओं में कमियों की आरंभ में ही पहचान कर लेने और इस प्रकार राज्य पर निःशक्तता का बोझ कम करने का लक्ष्य रखता है।

### • समुदाय-आधारति पुनरवास (Community-Based Rehabilitation- CBR) दूषटकिणेण:

 यह सुनिश्चित करने के लिये CBR दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि दिव्यांगजन अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सकें, नियमित सेवाओं एवं अवसरों तक उनकी पहुँच हो और अपने समुदायों के भीतर वे पुरणतः एकीकृत हो सकें।

### नश्चिक्तता के संबंध में समझ और जन जागरुकता बढ़ाना:

- सरकारों, स्वयंसेवी संगठनों और व्यावसायिक संघों को ऐसे सामाजिक अभियान चलाने पर विचार करना चाहिये जो दिव्यांगजनों से संबंधित कलंकित मुद्दों पर समाज के दृष्टिकोण में बदलाव ला सकें।
  - इस संदर्भ में मुख्यधारा मीडिया ने सही कदम आगे बढ़ाया है जहाँ 'तारे ज़मीन पर' और 'बर्फ़ी' जैसी फिल्मों में दिव्यांगजनों का सकारात्मक प्रतिनिधित्व किया गया है।
  - 'स्पेशल नीड' लेबल वाले विशेष विद्यालय कलंक या नकारात्मक संकेतार्थ उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ छात्रों के पास केवल विशेष आवश्यकता वाले साथियों से ही संवाद करने और सीखने का अवसर होगा।
    - वे प्रभावों की एक विस्तृत शृंखला के संपर्क में नहीं आ सकेंगे।
    - दिव्यांगजनों के बीच समावेशिता को बढ़ावा देने के लिये विशेष विद्यालयों और बाहरी दुनिया के बीच संक्रमण का एक उचित माध्यम होना चाहिये।

#### राजयों के साथ सहयोग:

- ॰ गर्भवती माताओं की देखभाल के बारे में जागरूक<mark>ता और ग्रा</mark>मीण क्षेत्रों में अच्छी एवं सुलभ चिकत्सा सुविधाएँ निशक्तता उत्पन्न होने की समस्या को संबोधित कर सकने के महत्त्<mark>वपूर्ण स्तंभ</mark> हैं।
  - इन दोनों ही विषयों में कार्<mark>रवाई कर</mark> सकने हेतु स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिये केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सक्<mark>रिय रूप से स</mark>मर्थन दिया जाना चाहिये क्योंकि स्वास्थ्य संविधान में 'राज्य सूची' के अंतर्गत शामिल है।

# दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिये हाल की कुछ प्रमुख पहलें

### भारत में:

- वशिषिट निःशकतता पहचान पोरटल (Unique Disability Identification Portal)
- सगमय भारत अभियान (Accessible India Campaign)
- <u>दीनदयाल दिवयांग पुनरवास योजना</u> (DeenDayal Disabled Rehabilitation Scheme)
- ॰ दिव्यांगजनों के लिये सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंगि में सहायता की योजना (Assistance to Disabled Persons for Purchase/fitting of Aids and Appliances)
- ॰ दिवयांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप (National Fellowship for Students with Disabilities)

#### विश्व स्तर पर:

- ॰ एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिये 'अधिकारों को साकार करने' हेतु इंचियोन कार्यनीति (Incheon Strategy to "Make the Right Real" for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific) ।
- ॰ दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (United Nations Convention on Rights of Persons with Disability) ।

- अंतर्राष्ट्रीय दिवयांगजन दिवस (International Day of Persons with Disabilities)
  दिव्यांगजनों के लिये संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत (UN Principles for People with Disabilities)

**अभ्यास प्रश्न:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम भारत में दिव्यांगजनों के समावेशन और सशक्तिकरण को कहाँ तक आगे बढ़ा सकेगा? चर्चा कीजिये।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/inclusiveness-and-empowerment-of-persons-with-disabilities

